



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी(SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शारान सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141 2227033

क्रमांक: एफ 61(350)SSAAT /लोकपाल चयन/ 2024-25 पार्ट-4 / **837**

जयपुर, दिनांक **19.06.2025**

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देश दिनांक 20.03.2023 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्ति का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पता	जिले का नाम
1.	सजीदा बानो पत्नी इरशाद बेग रामपुरा बरती, गली न. 12 ग्रामीण स्कूल के पास लालगढ जिला बीकानेर	बीकानेर
2.	श्री ओमप्रकाश गोदारा पुत्र बनवारी लाल गोदारा गांव गोदारा का बास, श्योपुरा पोस्ट ओजटू तहसील चिडावा जिला झुझु	झुझु
3.	श्री हरिराम पुत्र श्री धनाराम टेगौर स्कूल की गली, पटेल कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर	सीकर
4.	श्री महावीर सिंह राठोड पुत्र श्री ओकारसिंह राठोड प्लॉट नम्बर 359 विजय राजे नगर, न्यू हाईकोर्ट के सामने झालामंड जोधपुर	बाडमेर
5.	श्री देवशकर कटारा पुत्र श्री बालजी कटारा मु पो आदर्श गांव बेडसा, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर	डूंगरपुर
6.	श्री सत्यनारायण लडडा पुत्र स्व. श्री नाथूलाल लडडा मु पो गिल्लूण्ड तह रेलमगरा जिला राजसमद	राजसमद
7.	श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री परशुराम मीणा वर्तमान पता- 37-38 पूजा टाउन गोनेर रोड लुणियावास जयपुर	भरतपुर
8.	श्री आईदान सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह 871, इन्दिरा कॉलोनी जैसलमेर	जैसलमेर
9.	श्री प्रमोद कुमार शाह पुत्र श्री तोला चन्द शाह जैन मन्दिर के पीछे, गली नम्बर 05 वी, बाहुवली कालोनी, जिला बांसवाडा	बांसवाडा
10.	श्री भुरालाल शर्मा पुत्र स्व. नानू राम शर्मा एच-138 डिफेंस कॉलोनी न्यू बापू नगर भीलवाडा	भीलवाडा

उक्त चयनित व्यक्तियों का कार्यकाल, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी नरेगा डिविजन द्वारा लोकपाल और अपीलेंट अथोरिटी हेतु जारी संशोधित दिशा निर्देश F.No 11015/112022-RE-III(380157) दिनांक 20/03/2023 के अध्याधीन होगा।

नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष (प्रथम वर्ष पश्चात विभागीय मूल्यांकन के आधार पर) या चयनित लोकपाल 68 (अडसठ) वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। नियुक्त लोकपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20/03/2023 के बिन्दु संख्या 2.2.12 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

चयनित व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।

चयनित व्यक्तियों से आशा की जाती है कि अपना कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा निर्देश F.No 11015/112022-RE-III(380157) दिनांक 20/03/2023 के अध्याय 3 के अनुरूप निभायेंगे।

(श्रेया गुहा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान

क्रमांक: एफ 61(350)SSAAT /लोकपाल चयन/2024-25 पार्ट-4/ 838-851

जयपुर, दिनांक 19.06.2025

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
10. संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे संबंधित लोकपाल को कार्यग्रहण करवाते हुए उन्हें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन्स के तहत प्रशासनिक एवं तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का श्रम करें।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बंधित जिला परिषद।
12. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को पालनार्थ प्रेषित है।
13. प्रोग्रामर, / सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।


(मोहम्मद मोहसिन खान)
निदेशक (SSAAT)